कार्यालयः प्राचार्य, जिला ि ाक्षा और प्रि ाक्षण संस्थान, फैजाबाद

पत्रांकःडायट/वि0बी0टी0सी0–08(वि0च0)/ 5740–44 /2008–2009 दिनांक 26.03.2010

विज्ञप्ति

विि ाष्ट बी0टी0सी0 प्रि ाक्षण 2008 (वि ोश चयन) के सन्दर्भ में निर्गत शासनादे ा सं0–1186/15–11–2008 दिनांक 14 नवम्बर 2008 एवं मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदे ाों के अनुपालन में निर्गत भाासनादे ाों के प्रति प्रकाि ात विज्ञप्तियों के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों में अंकित विवरण के आधार पर जनपद–फैजाबाद हेतु निर्धारित अनुसूचित जाति 139 एवं अनुसूचित जनजाति 32 सीटों के सापेक्ष चतुर्थ जॉच सूची के जाँचोपरान्त समस्त अर्ह उपस्थित अभ्यर्थियों की वरीयता क्रम में पंचम अनन्तिम चयन सूची तैयार कर अवरोही क्रम में निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मेरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक ि ाक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है। 'पंचम अनन्तिम चयन सूची वेबसाइट' पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी **Website–http://www.faizabad.nic.in** के **Home page** पर बने, **Link '5th Interim List** पंचम अनन्तिम चयन सूची' पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते है। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी रू0 10/– के नॉन जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) के साथ निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (संस्थान के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध) एवं अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/ विशेष आरक्षण/ शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पार्सपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांकः 09.04.2010 से दिनांकः12.04.2010 तक प्रातः 10.00 बजे संस्थान में उपस्थित हों।

पंचम अनन्तिम चयन सूची की न्यूनतम कट ऑफ मेरिट का विवरण

वर्ग	ि ाक्षा मित्रों से भिन्न				ि ाक्षा मित्र	
	महिला		पुरूश		महिला	पुरूश
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
अनुसूचित जाति	....	....	215.97	....	....	....
अनु0 जनजाति	....	....	....	....	....	....

- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नही किया जायेगा।
- जारी की गई पंचम अनन्तिम चयन सूची रिक्त पदों की 10 गुनी प्रकाि ात की गई है, जिसमें अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख एवं भापथ–पत्र अवरोही क्रम में ही जमा किये जायेगें।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम अनन्तिम चयन सूची से लेकर चतुर्थ अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित थे और तत्समय संस्थान में मूल अभिलेख जमा करने हेतु उपस्थित नही हो सके थे को यदि वे इच्छुक हो तो उन्हें मूल अभिलेख जमा करने का अन्तिम अवसर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि इनकी सम्बन्धित वर्ग/श्रेणी में रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही मूल अभिलेख जमा किया जाना सम्भव होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का दावा/वाद मान्य नही होगा।
- जारी की गई पंचम अनन्तिम चयन सूची मा. उच्च न्यायालय/ मा. उच्चतम न्यायालय के आदे ा एवं किसी भी लिपिकीय त्रुटि संज्ञान के अधीन होगी।

(विमला भाास्त्री)
प्राचार्य
जिला ि ाक्षा एवं प्रि ाक्षण संस्थान
फैजाबाद।